

अब दो सेअधिक संतान होने पर नहीं होगी कार्रवाई

सिविल सेवा निरामों से इस रुल्स को हटाया

पदोन्नति रोकने तथा चा अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के

1971 में इस वाबत किए गए प्रावधान को वापस ले लिया है। राज्य अनुशासनात्मक कार्रवाई व पदोन्नी बीकानेर @ पत्रिका. राज्य सरकार ने राज्यपाल से स्वीकृति त रोकने का प्रावधान किया गया था। कर्मचारियों को अब दो संतान से मिलने के बाद इस रूल्स को हटाया जिसे कर्मचारी वापस लेने की मांग अधिक होने पर पदोन्नति आदि में है। राज्य सरकार के कामिंक विभाग काफी समय से कर रहे थे। सरकार कोई रूकावट नहीं होगी राज्य के उप सचिव कार्मिक ए-3 आशु ने इस पर विचार करने का कर्मचारी सरकार ने दो संतान से अधिक होने चौधरी ने वे आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में इस संबध में राजस्थान सिविल सेवा निक्म 25 सी को हटा दिवा है।

राजस्थान सिबिल सेवा नियम 1971 में 1 जुन 2002 के बाद दो अधिक संतान होने पर संगठनों को आश्वासन भी दिया था। आखिरकार सरकार ने इस निवम

Rule 25 C

25 C Small family norms :- At any time on or after 1.6.2002, a Government servant who has more than two children shall be liable for disciplinary action.

Provided that where a Government servant has only one child from the earlier delivery but more than one child are born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the number of children.

Provided further that the persons having more than two children shall not be deemed to commit misconduct so long as the number of children he/she has on 1st June, 2002 does not increase.

:: Order of Deletion rule 25 C ::

GOVERNMENT OF RAJASTHAN DEPARTMENT OF PERSONNEL (A-III)

No. F. 9(5)(30)DOP/A-III/2004/Part

1:1 MAY .2016 Jaipur, Dated:

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Civil Services (Conduct) Rules, 1971, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Conduct) (Amendment) Rules, 2016. (2)They shall come into force with immediate effect.

2. Deletion of rule 25C.- The existing rule 25C of the Rajasthan Civil Services (Conduct) Rules, 1971 shall be deleted.

1

By Order of the Governor,

(Ashu Chaudhary) Dy. Secy. to Government 2. ऐसे मामले में नियुक्ति प्राधिकारी संबंधित कर्मचारी को तीन माह का नोटिस देकर उसे अनिवार्यत: सेवा निवृत्त कर सकेगा।

प्रसव से दो या अधिक बच्चों के पैदा होने के कारण कुल बच्चों की संख्या तीन से अधिक हो जाती है तो उस प्रसव से हुए सभी बच्चों को एक ही इकाई मिना जाएगा।

को पेंशन एवं/या ग्रेच्युटी को पाने का अधिकार होगा। इस नियम के प्रावधान तभी लागू होंगे जबकि सरकारी कर्मचारी के 31 मई, 2002 को मौजूद बच्चों की संख्या में वृद्धि होने के फलस्वरूप तीन से अधिक बच्चे हो जाएँ, परन्तु यदि 1 जून, 2002 या बाद में कर्मचारी के एक ही नियम 53 (क): जून, 2002 के बाद सरकारी कर्मचारी के तीन से अधिक बच्चे होने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति : 1. यदि किसी सरकारी कर्मचारी के 1 जून, 2002 की या ठसके बाद तीन से अधिक बच्चे हो जाते हैं तो नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कर्मचारी को लोकहित में अनिवार्यत: सेवानिवृत्त कर सकेगा। ऐसे अनिवार्यत: सेवानिवृत्त कर्मचारी राजस्थान सेवा नियम 961

GOVERNMENT OF RAJASTHAN FINANCE DEPARTMENT RULES DIVISION

No. F.13(3)FD/Rules/2001

Jaipur, dated : 0 6 AUG 2018

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by provise to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Pension) (Third Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Deletion of rule 53A.- The existing rule 53A of the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996 shall be deleted.

By order of the Governor,

Secretary to the Government

Copy forwarded to -

- Secretary to Hon'ble Governor.
- 2 Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister.
- All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers.
- All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/ Secretaries/ Special Secretaries to the Government.
- Sr. D.S. to Chief Secretary.
- 6. Principal Accountant General Rajasthan, (A & E) Jaipur
- 7. All Heads of the Departments.
- Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur
- 9. Director, Pension & Pensioners' Wolfare Department, Rajasthan, Jaipur,
- 10. Deputy Director (Statistics), Chief Ministers' Office.
- 11. All Treasury Officers
- 12. All Sections of the Secretariat.
- 13. Administrative Reforms (Gr.7).
- 14. Vidhi Rachana Sanghthan, for Hindi translation.
- 15. Tachnical Director, Finance Department (Computer Cell).

Copy also to the -

t

- Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur with 20 extra copies for Subordinate Legislative Committees.
- 2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur.
- Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
- 4. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur.

(Kirti .

Joint Secretary to the Government

(Pesnion 1º /2018

GOVERNMENT OF RAJASTHAN DEPARTMENT OF PERSONNEL (A-Gr. II)

F. No. 7(1)DOP/A-II/95 Pt.-II

.

Jaipur, dated : 2011.2015

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Various Service Rules as mentioned in the Schedule appended hereto, namely:-

1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Rajasthan Various Service (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 01.04.2015.

2. Amendment.- After the existing last proviso to sub-rule (3) or (4) or (5) as the

case may be, of rule as mentioned in column number 3 against each of the Service Rules as mentioned in column number 2 of the Schedule given below, the following new proviso shall be added, namely :-

"Provided also that any candidate who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for appointment under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage."

3. Amendment.- After the existing last proviso to sub-rule (4) of rule as mentioned in column number 4 against each of the Service Rules as mentioned in column number 2 of the Schedule given below, the following new proviso shall be added, namely :-

"Provided also that any person who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for promotion under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage."

S. No.	Name of Service Rules	Number of existing rules	Number of existing rules
1	2	3	4
1.	The Rajasthan Administrative Service Rules, 1954	25B	28B
2.	The Rajasthan Police Service Rules, 1954	25C	28A

SCHEDULE

3.	The Rajasthan Accounts Service Rules, 1954	25B	28A
4.	The Rajasthan Secretariat Service Rules, 1954	-	11B

5.	The Rajasthan Inspectors of Registration and Stamps Service Rules, 1954	21A	24A
6.	The Rajasthan Service of Engineers (Electrical and Mechanical Branch) Rules, 1954	21A	24A
7.	The Rajasthan Service of Engineers and Research officers (Irrigation Branch) Rules, 1954	21 A	24 A
8.	The Rajasthan Service of Engineers (B&R Branch) Rules, 1954	21 A	24 A
9.	The Rajasthan Cooperative Service Rules, 1954	21 A	24 B
10.	The Rajasthan Motor Garage Service Rules, 1958	20 A	21 A
11.	The Rajasthan Labour and welfare Service Rules, 1958	20 A	23 A
12.	The Rajasthan Economics and Statistical Service Rules, 1958	15 B	25 A
13.	The Rajasthan Service of Inspectors of Factories and Boilers and Inspector of Factories (Chemical) Rules, 1958	21 A	23 A
14.	The Rajasthan Jails Service Rules, 1959	20 A	23 A
15.	The Rajasthan State Insurance and provident Fund Service Rules, 1959	21 A	24 A
16.	The Rajasthan Government presses Service Rules, 1960	21 A	25 A
17.	The Rajasthan Employment Exchanges Service Rules, 1960	20 A	24 A
18.	The Rajasthan Mines and Geological Service Rules, 1960	20 A	23 A
19.	The Rajasthan Agriculture Service Rules, 1960	22 A	25 A
20.	The Rajasthan Industries Service Rules, 1960	20 A	23 A
21.	The Rajasthan Archaeology & Museums Service Rules, 1960	21 A	24 A
22.	The Rajasthan Horticulture Service Rules, 1962	20	23 A
23.	The Rajasthan Medical Service (Collegiate Branch) Rules, 1962	21	24 A
24.	The Rajasthan Forest Service Rules, 1962	25 A	31 A
25.	The Rajasthan Animal Husbandry Service Rules, 1963	21	23 A
26.	The Rajasthan Social Welfare Service Rules, 1963	21	24 A
27.	The Rajasthan Medical and Health Service Rules, 1963	21	24 A
28.	The Rajasthan Public Relations Service Rules, 1966	21	25
29.	The Rajasthan Town Planning Service Rules, 1966	21	25

•

-2-

•

.

.

30.	The Rajasthan Oriental Research Institute Service	21	25
31.	Rules, 1967 The Rajasthan Excise (Preventive Officers) Service Rules, 1967		17
32.	The Rajasthan Service of Engineers and Allied Posts (Public Health Branch) Rules, 1968	21	25
33.	The Rajasthan Ground Water Service Rules, 1969	21	25
34.	The Rajasthan Educational Service Rules, 1970	21	25
35.	The Rajasthan Commercial Taxes Service Rules, 1971	15 A	18
36.	The Rajasthan Architectural Service (P.W.D. & B & R) Rules, 1973	21	25
37.	The Rajasthan Ayurvedic, Unani, Homoeopathy and Naturopathy Service Rules, 1973	21	25
38.	The Rajasthan Excise Service (General Branch) Rules, 1974	_	11 A
39.	The Rajasthan Technical Training Service Rules, 1975	21	24 A
40.	The Rajasthan Archives Service Rules, 1975	21	24 A
41.	The Rajasthan Engineering Service (Electrical Inspectorate Branch) Rules, 1975	21	24 A
42.	The Rajasthan Food and Civil Supplies Service Rules, 1976	21	23 A
43.	The Rajasthan Tourism Service Rules, 1976	21	23 A
44.	The Rajasthan Home Guards and Civil Defence Service Rules, 1976	21	23 A
45.	The Rajasthan Sanskrit Education Service Rules, 1977	21	23 A
46.	The Rajasthan Prosecution Service Rules, 1978	_	9
47.	The Rajasthan Evaluation Service Rules, 1979	22	24
48.	The Rajasthan Forensic Science Service Rules, 1979	22	24
49.	The Rajasthan State Enterprises Service Rules, 1979	22	24
50.	The Rajasthan Transport Service Rules, 1979	22	24
51.	The Rajasthan Librarian and Physical Training Instructors Service (Collegiate Branch) Rules, 1980		9
52.	The Rajasthan District Gazetteers Service Rules, 1980	22	24
53.	The Rajasthan Legal State and Subordinate Service Rules, 1981	26	28
54.	The Rajasthan Vidhi Rachna State and Subordinate Service Rules, 1981	26	28

-•

•

55.	The Rajasthan State Agricultural Marketing Service Rules, 1986	22	24
56.	The Rajasthan Educational Service (Collegiate Branch) Rules, 1986	21	26
57.	The Rajasthan State Institute of Public Administration Service Rules, 1990	-	9
58.	The Rajasthan Computer State and Subordinate Service Rules, 1992	27	30
59.	The Rajasthan Secretariat Librarian State and Subordinate Service Rules, 1997	23	26
60.	The Rajasthan Rural Development and Panchayati Raj State and Subordinate Service Rules, 1998	25	28
61.	The Rajasthan Woman and Child Development State and Subordinate Service Rules, 1998	25	28
62.	The Rajasthan Devasthan State and Subordinate Service Rules, 2000	25	28
63.	The Rajasthan Tribal Area Development State and Subordinate Service Rules, 2001	25	28
64.	The Rajasthan Rural Development State Service Rules, 2007	24	27
65.	The Rajasthan Rural Ayurvedic, Unani, Homoeopathy & Naturopathy Service Rules, 2008	19	-
66.	The Rajasthan Women Development Service Rules, 2008	19	27
67.	The Rajasthan Technical Education (Non- Engineering) Service Rules, 2010	25	28
68.	The Rajasthan Technical Education (Engineering) Service Rules, 2010	26	29
69.	The Rajasthan Petroleum State and Subordinate Service Rules, 2012	27	30
70.	The Rajasthan Fisheries State and Subordinate Service Rules, 2012	27	30
71.	The Rajasthan Language and Library (State and Subordinate) Service Rules, 2013	27	30
72.	The Rajasthan Civil Aviation State Service Rules, 2013	26	30
73.	The Rajasthan Subordinate Cooperative Service (Class-I) Rules, 1955.	24A	27A
74.	The Rajasthan Subordinate Cooperative Service (Class-II) Rules, 1955.	23A	-
75.	The Rajasthan Tehsildars Service Rules, 1956	24D	28A
76.	The Rajasthan Mines and Geological Subordinate Service Rules, 1960	21	24A
7 7 .	The Rajasthan Subordinate Accounts Service Rules, 1963	25	28A
78.	The Rajasthan Forest Subordinate Service Rules, 1963	16	25A

.

•

-4-

.

.

.

.

79.	The Rajasthan Social Welfare Subordinate Service Rules, 1963	21	24A
80.	The Rajasthan Transport Subordinate Service Rules, 1963	21	24A
81.	The Rajasthan Horticulture Subordinate Service Rules, 1965	21	24A
82.	The Rajasthan Medical and Health Subordinate Service Rules, 1965	21	24A
83.	The Rajasthan Ayurvedic, Unani, Homoeopathy and Naturopathy Subordinate Service Rules, 1966	21	25
84.	The Rajasthan Industries Subordinate Service Rules, 1966	21	25
85.	The Rajasthan Engineering Subordinate Service (Public Health Branch) Rules, 1967	21	25
86.	The Rajasthan Engineering Subordinate Service (Irrigation Branch) Rules, 1967	21	25
87.	The Rajasthan Archives Subordinate Service Rules, 1968	21	25
88.	The Rajasthan Educational Subordinate Service Rules, 1971	21	26
89.	The Rajasthan Statistical Subordinate Service Rules, 1971	21	25
90.	The Rajasthan Government Presses Subordinate Service Rules, 1973	21	24A
91.	The Rajasthan Technical Education Subordinate Service Rules, 1973	21	24A
92.	The Rajasthan Subordinate Engineering (B&R Branch) Service Rules, 1973	21	24A
93.	The Rajasthan Ground Water Subordinate Service Rules, 1973	21	24A
94.	The Rajasthan Town Planning Subordinate Service Rules, 1974	21	24A
95.	The Rajasthan Food and Civil Supplies Subordinate Service Rules, 1974	21	24A
96.	The Rajasthan Excise Subordinate Service (General Branch) Rules, 1974	21	24A
97.	The Rajasthan Technical Training Subordinate Service Rules, 1975	21	24A
98.	The Rajasthan Commercial Taxes Subordinate Service (General Branch) Rules, 1975	21	24A
99.	The Rajasthan Public Relations Subordinate Service Rules, 1975	21	24A
100.	The Rajasthan Revenue Accounts Subordinate	25	28A

1

.

· .

.

.

.

• .

Service Rules, 1975		
101. The Rajasthan Excise Subordinate Service	21	23A
(Preventive Branch) Rules, 1976		

.

· · ·

102.	The Rajasthan State Enterprises Subordinate Service Rules, 1976	21	23A
103.	The Rajasthan Animal Husbandry Subordinate Service Rules, 1977	21	23A
104.	The Rajasthan Agriculture Subordinate Service Rules, 1978	22	24A
105.	The Rajasthan Prosecution Subordinate Service Rules, 1978	17	· _
106.	The Rajasthan Sanskrit Education Subordinate Service Rules, 1978	22	24 A
107.	The Rajasthan Motor Garage Subordinate Service Rules, 1979	. 22	24
108.	The Rajasthan Education Subordinate Service (Collegiate Branch) Rules, 1979	22	24
109.	The Rajasthan Circuit Houses Subordinate Service Rules, 1979	22	24
110.	The Rajasthan Forensic Science Subordinate Service Rules, 1980	22	24
111.	The Rajasthan Police Subordinate Service Rules, 1989	. 24	26
112.	The Rajasthan Jail Subordinate Service Rules, 1998	33	35
113.	The Rajasthan Subordinate Service (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 2001	32	35
114.	The Rajasthan Rural Ayurvedic, Unani, Homeopathy & Naturopathy Subordinate Service Rules, 2008	20	29
115.	The Rajasthan Vidhyalay Sahayak Subordinate Service Rules, 2015	27	-
116.	The Rajasthan Madarsa Education Assistant Subordinate Service Rules, 2013	27	-
117.	The Rajasthan Scheduled Areas Subordinate, Ministerial and Class IV Service (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 2014	26	29
118.	The Rajasthan Secretariat Ministerial Service Rules, 1970	15	26
119.	The Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Service Rules, 1999	31	33 ·
120.	The Rajasthan Class IV Service(Recruitment and	19	26

• -6-

By Order and in the name of the Governor,

(O.P. Gupta)

Joint Secretary to the Government

.

· .

.

59(2)/2015

GOVERNMENT OF RAJASTHAN DEPARTMENT OF PERSONNEL (A-Gr. II)

F. No. 7(1)DOP/A-II/95 Pt.-II

Jaipur, dated : 20.11.2015

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 read with Clause (b) of article 318 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following Rules and Regulations further to amend the Various Service Rules as mentioned in the Schedule appended hereto, namely:-

1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Rajasthan Various Service (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 01.04.2015.

2. Amendment.- After the existing last proviso to rule as mentioned in column number 3 against each of the Service Rules as mentioned in column number 2 at serial number 2 of the schedule given below, the following new proviso shall be added, namely :-

"Provided also that any candidate who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for appointment under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage."


3. Amendment.- After the existing last proviso to rule as mentioned in column number 4 against each of the Service Rules as mentioned in column number 2 of the schedule given below, the following new proviso shall be added, namely :-


"Provided also that any person who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for promotion under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage."

S.	Name of Service Rules	Number of	Number of
No		existing Rules	existing Rules
1.	2.	3.	4.
1.	The Rajasthan Public Service Commission	-	12(1)
	(Gazetted Staff) Rules and Regulations, 1991		
2.	The Rajasthan Public Service Commission	29	33(1)
	(Ministerial and Subordinate Staff) Rules and		
	Regulations, 1999		

SCHEDULE

By Order and in the name of the Governor,





राजस्थान सरकार

कार्मिक (क--ग्रुप--2) विभाग

सं. एफ.7(1)डीओपी / ए—II / 95 पार्ट—III

जयपुर, दिनांक : <u>19 SEP 2017</u>

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, नीचे दी गयी अनुसूची में यथोल्लिखित विभिन्न सेवा नियमों को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

 संक्षिप्त नाम और प्रारंग.--(1) इन नियमों का नाम राजस्थान विभिन्न सेवा (.........संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये 01.04.2017 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. संशोधन.— नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियम के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में यथोल्लिखित नियम के विद्यमान उपबंध में बिद्यमान अभिव्यक्ति "पांच भर्ती वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीन भर्ती वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी।

अनुसूची

क.सं	सेवा नियमों का नाम	नियम का उपबंध
1	2	3
1.	राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954	नियम 28ख का उप—नियम (4)
2.	राज़स्थान पुलिस सेवा नियम, 1954	नियम 28क का उप—नियम (4)
3.	राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954	नियम 28क का उप—नियम (4)
4.	राजस्थान सचिवालय सेवा नियम, 1954	नियम 11ख का उप–नियम (4)
5.	राजस्थान रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प निरीक्षक सेवा नियम, 1954	नियम २४क का उप—नियम (४)
6.	राजस्थान अभियंता सेवा (विद्युत एव यांत्रिक शाखा) नियम, १९५४	नियम २४क का उप–नियम (४)
7.	राजस्थान अभियंता और अनुसंधान अधिकारी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1954	नियम 24क का उप–नियम (4)

44(I) /2017

शैक्षिक समाचार राजस्थान

		• = · • • • • · · · · · · · · · · · · ·
8.	राजस्थान अभियंता सेवा (भवन एवं सड़क शाखा) नियम, 1954	नियम २४क का उप–नियम (4)
9.	राजस्थान सहकारी सेवा नियम, 1954	नियम 24ख का उप–नियम (4)
10.	राजस्थान मोटर गैराज सेवा नियम, 1958	नियम २१कक, का उप–नियम (4)
11.	राजस्थान श्रम एवं कल्याण सेवा नियम, 1958	नियम 23क का उप-नियम (4)
12.	राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा नियम, 1958	नियम 25क का उप—नियम (4)
13.	राजस्थान कारखाना तथा बायलर निरीक्षक और कारखाना (रसायन) निरीक्षक सेवा नियम, 1958	नियम २३क का उप–नियम (4)
14.	राजस्थान कारागार सेवा नियम, 1959	नियम 23क का उप-नियम (4)
15.	राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा नियम, 1959	नियम 24क का उप-नियम (4)
16.	राजस्थान राजकीय मुद्रणालय सेवा नियम, 1960	नियम 25क का उप-नियम (4)
17.	राजस्थान नियोजन कार्यालय सेवा नियम, 1960	नियम २४क का उप–नियम (४)
18.	राजस्थान खान एव भू–गर्भ सेवा नियम, 1960	नियम 23क का उप-नियम (4)
19.	राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1960	नियम 25क का उप–नियम (4)
20.	राजस्थान उद्योग सेवा नियम, 1960	नियम 23क का उप–नियम (4)
21.	राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियम, 1960	नियम 24क का उप-नियम (4)
22.	राजस्थान उद्यान कृषि सेवा नियम, 1962	नियम २३क का उप-नियम (4)
23.	राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962	नियम २४क का उप-नियम (४)
24.	राजस्थान वन सेवा नियम, 1962	नियम ३१क का उप–नियम (4)
25.	राजस्थान पशुपालन सेवा नियम, 1963	नियम 23क का उप–नियम (4)
26.	राजस्थान समाज कल्याण सेवा नियम, 1963	नियम २४क का उप–नियम (४)
27.	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963	नियम २४क का उप-नियम (४)
28.	राजस्थान जनसंपर्क सेवा नियम, 1966	नियम 25 का उप–नियम (4)
29.	राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966	नियम 25 का उप-नियम (4)
30.	राजस्थान प्राच्यविद्या अनुसंघान संख्थान सेवा नियम, 1967	नियम 25 का उप—नियम (4)
31.	राजस्थान आबकारी (निवारक अधिकारी) सेवा नियम, 1967	नियम 17 को उप-नियम (4)

· ---

5

32.	राजस्थान अभियंता सेवा और सहबद्ध पद (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1968	नियम 25 का उप-नियम (4)
33.	राजस्थान भूजल सेवा नियम, 1969	नियम 25 का उप-नियम (4)
34.	राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970	नियम 25 का उप–नियम (4)
35.	राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971	नियम 18 का उप–नियम (4)
36.	राजस्थान स्थापत्य सेवा लो.नि.वि. (भ. एवं स.) नियम, 1973	नियम 25 का उप—नियम (4)
37.	राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973	नियम 25 का उप—नियम (4)
38.	राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974	नियम 11क का उपनियम (4)
39.	राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण सेवा नियम, 1975	नियम 24क का उप–नियम (4)
40.	राजस्थान पुरालेख सेवा नियम, 1975	नियम २४क का उप-नियम (४)
41.	राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत निरीक्षणालय शाख़ा) नियम, 1975	नियम 24क का उप—नियम (4)
42.	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा नियम, 1976	नियम 23क का उपनियम (4)
43.	राजस्थान पर्यटन सेवा नियम, 1976	नियम 23क का उप-नियम (4)
44.	राजस्थान होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा सेवा नियम, 1976	नियम 23क का उप—नियम (4)
45.	राजस्थान अभियोजन सेवा नियम, 1978	नियम 9 का उप–नियम (4)
46.	राजस्थान मूल्यांकन सेवा नियम, 1979	नियम 24 का उप—नियम (4)
47.	राजस्थान न्याय संबंधी विज्ञान सेवा नियम, 1979	नियम २४ का उप—नियम (४)
48.	राजस्थान राज्य उपकम सेवा नियम, 1979	नियम २४ का उप–नियम (४)
49.	राजस्थान परिवहन सेवा नियम, 1979	नियम २४ का उप–नियम (४)
50.	राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1980	नियम 9 का उप-नियम (4)
51.	राजस्थान जिला गजेटियर्स सेवा नियम, 1980	नियम २४ का उप—नियम (४)
52.	राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा नियम, 1986	नियम 24 का उप-नियम (4)
53.	राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान सेवा नियम, 1990	नियम 9 का उप-नियम (4)
54.	राजस्थान विधिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम,	नियम २८ का उप-नियम (4)

-1

~3-

	9-		
	· ·		•
	1981		
55.	राजस्थान विधि रचना राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1981	नियम 28 का उप—नियम (4)	• .
56.	राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992	नियम 30 का उप—नियम (4)	
57.	राजस्थान सचिवालय पुस्तकालय राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1997	नियम 26 का उप–नियम (4)	
58.	राजस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	नियम 28 का उप-नियम (4)	
59.	राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य और अधीनस्थ) सेवा नियम, 1998	नियम 28 का उप—नियम (4)	
60.	राजस्थान देवस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2000		
61.	राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा (श्रेणी–I) नियम, 1955	नियम 27क का उप-नियम (4)	
62.	राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम, 1956	नियम 28क का उप-नियम (4)	
63.	राजस्थान खान एवं भू–गर्भ अधीनस्थ सेवा नियम, 1960	नियम 24क का उप-नियम (4)	-
64.	राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963	नियम २८क का उप-नियम (4)	
65.	राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	नियम 24क का उप—नियम (4)	
66.	राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	नियम २४क का उप-नियम (४)	· ·
67.	राजस्थान उद्यान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1965	नियम २४क का उपनियम (४)	
68.	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965	नियम २४क का उप–नियम (4)	
69.	राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966	नियम 25 का उप-नियम (4)	÷
70.	राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम, 1966	नियम 25 का उप-नियम (4)	7
71.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1967	नियम 25 का उप-नियम (4)	-
72.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1967	नियम २५ का उप—नियम (4)	

-4-

.

•

4

	- 5-				
73.	राजस्थान पुरालेख अधीनस्थ सेवा नियम, 1968	नियम 25 का उप-नियम (4)			
74.	राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971	नियम 26 का उप-नियम (4)			
75.	राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम, 1971	नियम 25 का उपनियम (4)			
76.	राजस्थान राजकीयं मुद्रणालयं अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	नियम २४क का उप-नियम (४			
77.	राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	नियम 24क का उप-नियम (4			
78.	राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (भवन एवं पथ शाखा) सेवा नियम, 1973	नियम २४क का उप-नियम (४			
79.	राजस्थान भू–जल अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	नियम २४क का उप-नियम (४			
80.	राजस्थान नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1974	नियम २४क का उप-नियम (४			
81.	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा नियम, 1974	नियम 24क का उप-नियम (4			
82.	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, १९७४	नियम २४क का उप-नियम (४			
83.	राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	नियम २४क का उप-नियम (४			
84.	राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1975	नियम 24क का उप—नियम (4			
85.	राजस्थान जनसंपर्क अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	नियम २४क का उप–नियम (४			
86.	राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	नियम 28क का उप—नियम (4)			
87.	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा) नियम, 1976	नियम 23क का उप—नियम (4			
88.	राजस्थान राज्य उपक्रम अधीनस्थ सेवा नियम, 1976	नियम 23क का उप—नियम (4)			
89.	राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977	नियम 23क का उप-नियम (4)			
90.	राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978	नियम 24 का उप-नियम (4)			
91.	राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम, 1979	नियम 24 का उप–नियम (4)			
92.	राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा (महाविद्यालय	नियम 24 का उप-नियम (4)			

. . .

•

+-

.

. .

4

93.	राजस्थान विश्राम भवन अधीनस्थ सेवा नियम, 1979	नियम 24 का उप-नियम (4)	
94.	राजस्थान न्याय संबंधी विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियम, 1980	नियम 24 का उप–नियम (4)	·
95.	राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989	नियम २६ का उप—नियम (१क)	
96.	राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	नियम 35 का उप—नियम (1क)	
97.	राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 2001	नियम 35 का उप-नियम (4)	
98.	राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1970	नियम 26 का उप-नियम (4)	-
99.	राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999	नियम 33 का उप-नियम (4)	
100.	राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 1999	नियम 26 का उप—नियम (4)	-
101.	राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2001	नियम 28 का उप-नियम (3) (II)	t
102.	राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम, 2007	नियम 27 का उप-नियम (4)	
103.	राजस्थान महिला विकास सेवा नियम, 2008	नियम 27 का उप–नियम (4)	
104.	राजस्थान ग्रामीण आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम,	नियम 29 का उप—नियम (4)	
105.	2008 राजस्थान तकनीकी शिक्षा (गैर–अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010	नियम 28 का उप-नियम (4)	
106.	राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010	नियम २९ का उप–नियम (4)	;
107.	नियम, 2012		
108.	2012		
109.	राजस्थान भाषा एवं पुस्तकालय (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2013	नियम 30 का उप—नियम (4)	

-6-

,

4

110.	राजस्थान नागरिक उड्डयन राज्य सेवा नियम,	नियम 30 का उप—नियम (4)
	2013	
111.	राजस्थान आबकारी प्रयोगशाला (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2015	नियम 30 का उप—नियम (4)
112.	राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015	नियम 31 का उप–नियम (4)
113.	राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015	नियम 37 का उप—नियम (4)
114.	राजस्थान महिला अधिकारिता (राज्य एव अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017	नियम 32 का उप—नियम (4)

राज्यपाल के आदेश और नाम से

- -

(सुनील शमा) संयुक्त शासन सचिव

•

.

.

2

.

--

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क--ग्रुप--2) विभाग

सं. एफ.७(१)डीओपी ∕ ए–II ∕ 95 पार्ट–III

जयपुर,	दिनांक	;	19	SEP	ר ר

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के खण्ड (ख) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक के उपबंधों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, नीचे दी गयी अनुसूची मे यथोल्लिखित विभिन्न सेवा नियमों तथा विनियमों को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम तथा विनियम बनाते हैं, अर्थात्:--

 संक्षिप्त नाम और प्रारंग--(1) इन नियमों तथा विनियमों का नाम राजस्थान विभिन्न सेवा (.......संशोधन) नियम तथा विनियम, 2017 है।

(2) ये 01.04.2017 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. संशोधन.— नीचे दी गयी अनुसूची के यथोल्लिखित स्तंभ संख्यांक 2 में प्रत्येक सेवा नियम तथा विनियम के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में यथोल्लिखित नियम तथा विनियम के विद्यमान उपबंध में विद्यमान अभिव्यक्ति "5 भर्ती वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीन भर्ती वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी।

अनुसूची

क.सं.	सेवा नियम तथा विनियम का नाम	नियम तथा विनियम के उपबंध			
1	2	3			
1	राजस्थान लोक सेवा आयोग (राजपत्रित स्टाफ) सेवा नियम तथा विनियम, 1991	नियम तथा विनियम 12 का उपनियम (1क)			
2	राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय तथा अधीनस्थ सेवा) नियम तथा विनियम, 1999	नियम तथा विनियम 33 का उप–नियम (1क)			

राज्यपाल के आदेश और नाम से

सुनील शमा)

संयुक्त शासन सचिव

44(17)/2017

GOVERNMENT OF RAJASTHAN FINANCE DEPARTMENT (RULES DIVISION)

No. F. 14(88)FD/Rules/2008-I

Jaipur, dated: 1 JUN 2017

MEMORANDUM

Sub:- Grant of Assured Career Progression to Class-IV, Ministerial, Subordinate Services Government servants and those holding isolated posts under Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008.

The existing item (iii) of sub-para (8) of para 2 of Finance Department Memorandum of even number dated 31.12.2009 as amended vide Memorandum of even number dated 06.10.2015 shall be substituted by the following, namely:-

"The appointing authority shall also obtain an affidavit from the employee with reference to having only two children on or after 01.06.2002 prior to granting ACP. An employee who has more than 2 children on or after 01.06.2002 shall not be granted next ACP for 3 years from the date on which his/her ACP becomes due and it would have consequential effect on the subsequent financial upgradation which would also get deferred to the extent of delay in grant of previous financial upgradation. The employee having more than 2 children shall not be deemed to have been disqualified, so long as the number of children he/she has on 01.06.2002 does not increase."

This order shall come into force with immediate effect."

(ManjurRa

Secretary to the Government, **Finance** (Budget)

Copy forwarded to --

1.

- Secretary to Hon'ble Governor.
- 2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister.
- All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers.
 All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries
 - .All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries/Special Secretaries to the Government.
- 5. D.S. to Chief Secretary.
- 6. Principal Accountant General Rajasthan, Jaipur (200 copies).
- All Heads of the Departments.
 Director, Treasuries & Account
 - Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur with 100 spare copies for sending to all Sub-Treasury Officers.
- 9. Director, Pension & Pensioners' Welfare Department, Rajasthan, Jaipur.
- 10. Deputy Director (Statistics), Chief Ministers Office.
- 11. All Treasury Officers.
- All Sections of the Secretariat.
- 13. Administrative Reforms (Gr.7) with 7 copies.
- Vidhi Rachana Sanghthan, for Hindi translation.

Additional Director, Finance (Computer Cell) Department.

Copy also to the -

15.

1.

Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur with 20 extra copies for Subordinate Legislative Committees.

- 2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur.
- 3. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
- 4. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur.

0612017

(Mahendra Singh Bhukar) Joint Secretary to the Government

(RP - 2008/\$%/2017)

(प. 7 (3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 4.10.2013)

8. जून 2002 या इसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे होने पर अभ्यर्थी राजकीय सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं : ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 1.6.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, राजकीय सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परन्तु दो से अधिक बच्चे वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोतरी नहीं होती। परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। (एफ.7(1)कार्मिक/क-II/1995 दि. 8.4.2003) समय पूर्व प्रसव के कारण निशक्त बच्चा होने पर बच्चों की संख्या की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा।

(एफ.7(1)कार्मिक/क-2/95 पार्ट II दिनांक 24.2.2011) एसीपी स्वीकृति हेतु बच्चों की संख्या की गणना में समयपूर्व प्रसव के कारण विकलांग संतान को शामिल नहीं किया जायेगा। (एफ.14(88)वित्त(नियम)/2008 I & II दिनांक 16.11.2011) 5 वर्ष तक पदोन्नति पर विचार नहीं होगा - ऐसे किसी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख से जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है 5 वर्ष तक विचार नहीं किया जायेगा यदि उसके 1 जून 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हों। (प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दि. 13.8.2004)

्तीसरी संतान होने पर पांच वर्ष नहीं रुकेगी पदोन्नति

कर दिया है। जिसमें तीसरी संतान होने पर एसीपी पांच वर्ष तक ही रोकने के आदेश जारी किए जा चुके है, पहले ऐसे कार्मिकों को पूरी सेवाकाल तक एसीपी दी जाती थी।

5

इसी प्रकार पुनर्विवाह के बाद होने वाली एक संतान के कारण निर्योग्यता से भी छूट दी जा चुकी है।

इसके अलावा राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत तीसरी संतान होने पर देय दण्डात्मक प्रावधान को भी विलोपित किया जा चुका है। भाजपा शहर अध्यक्ष ने राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित मे लिए गए निर्णयों को कर्मचारी हित में बताया है।

का नीतिगत निर्णय ले लिया है तथा इसके लिए नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रिया<mark>धीन है।</mark>

यह जानकारी कार्मिक विभाग (क-2) के संयुक्त शासन सचिव सुनील कुमार शर्मा ने भाजपा के शहर जिला अध्यक्ष सत्य प्रकाश आचार्य को भेजे पत्र में दी है।

आचार्य ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर राज्य कर्मचारियों के तीसरी संतान पर पांबदी नियमों को समाप्त करने की मांग की थी जिसके जवाब में कार्मिक विभाग ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा राज्यकर्मियों के तीसरी संतान पर पाबंदी के प्रावधानों में से कई प्रावधानों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए विलोपित व संशोधित

दो वर्ष कम करने का सरकार ने लिया नीतिगत निर्णय नियमों में संशोधन की तैयारी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

rajasthanpatrika.com बीकानेर राज्य सरकार ने राज्य कर्मियों को तीसरी संतान होने पर दिए जाने वाले दण्डात्मक प्रावधानों में संशोधन की तैयारी कर ली है।

राज्य कर्मियों को तीसरी संतान पर पहले जहां पांच वर्ष तक पदोन्नति नहीं देने का प्रावधान था उसे घटाकर तीन भर्ती वर्ष करने

तीसरी संतान होने पर पदोन्नति पांच भर्ती वर्षों के पश्चात होगी

क्र.: प. 7(1)कामिक/क-2/95 पार्ट (60/2015)दि.: 24.11.15 राजस्थान राजपत्र दिनांक 22 जून, 2001 भाग 4 (ग) उपखण्ड (I) के विशेषांक में जी.एस.आर. 35 के अधीन पृष्ठ 51 (2) से 51(7) पर हिन्दी भाषा में प्रकाशित इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 जून, 2001 (लेखाविज्ञ जून, 2001 पृष्ठ 302)में क्रम संख्या 3. संशोधन शीर्षक के अन्तर्गत उप नियम (1क) में आई अभिव्यक्ति 'पांच वर्ष' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'पांच भर्ती वर्ष' पढ़ा जावे। यह संशोधन 109 सेवा नियमों में किया गया है।

e a post uitment nnot be retired the age ncerned ance for e expiry artment, ost, may other one all not be ence of

राजस्थान सरकार कार्मिक (क–2) विभाग

डॉ. सत्यप्रकाश आचार्य,

जिलाध्यक्ष, भाजपा, शहर जिला बीकानेर, धोबी धोरा, सूरसागर तालाब के पास, बीकानेर–334001 (राज.)।

'-6 FEB 2017

क्रमांक:- 7(1)कार्मिक / क-2 / 95 पार्ट (mis.)

जयपुर, दिनांकः

विषयः—राज्यकर्मियों के तीसरी संतान पर पाबन्दी नियम को समाप्त करवाने।— संदर्भः— आपका पत्र दिनांक 24.05.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निदेशानुसार अवगत कराया जाता है कि राज्यकर्मियों के दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् तीसरी संतान होने पर अमल में लाई जाने वाली कार्यवाही संबंधी विविध दंडात्मक प्रावधानों में से कतिपय प्रावधानों को, मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये, विलोपित/संशोधित किया जा चुका है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :--

- एसीपी को पूर्व में जो पूर्ण सेवाकाल तक रोकने का प्रावधान था, उसे संशोधित कर, अब पांच वर्ष तक ही रोक प्रभावी रहने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञापन दिनांक 06.10.2015 जारी किया जा चुका है।
- पुनर्विवाह के पश्चात् उत्पन्न होने वाली एक संतान के कारण उत्पन्न होने वाली निर्योग्यता से छूट प्रदान किए जाने संबंधी नियम संशोधन की अधिसूचना दिनांक 20.11.2015 भी जारी की जा चुकी है।
- राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम, 1971 के नियमों के तहत दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् तीसरी संतान होने पर देय दण्डात्मक प्रावधान (नियम 25सी) को विलोपित करने संबंधी अधिसूचना दिनांक 11.05.16 जारी की चुकी है।

साथ ही कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.06.01 के प्रावधानानुसार किसी राजसेवक के दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने पर देय दण्डात्मक प्रावधान यथा पदोन्नति 05 भर्ती वर्ष रोकने, के स्थान पर पदोन्नति 03 भर्ती वर्ष तक ही रोकने के संबंध में भी नीतिगत निर्णय लिया जा चुका है, नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

भवदीय

(सुनील शर्मा) संयुक्त शासन सचिव